

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक:- प.12(25)वन/2020-00105

जयपुर, दिनांक

कार्यालय आदेश

भारतीय वन सेवा/राज्य वन सेवा के अधिकारियों एवं विभागीय कर्मचारियों द्वारा राज्य से बाहर की राजकीय यात्रा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) की अनुमति से की जा सकेगी।

यह आदेश विभाग के पूर्व समसंख्यक पत्र दिनांक 25.01.2022 एवं 12.09.2022 के अतिक्रमण में जारी किया जाता है।

भवदीय,

(शिखर अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय वन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन।
3. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वन।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

PCCF (Admin)

PS to Pccf (Admin)

6/6
6/6

pl. but a white

6/6/23

CCF (E)
on the web please
6/6

Signature valid

Digitally signed by Shikhar Agrawal
Designation: Additional Chief
Secretary
Date: 2023.06.01 15:34:44 IST
Reason: Approved